संख्या– सम्ब0–319 / सत्तर–2–2012–2(319) / 2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 22 सितम्बर, 2012

विषयः–महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सम्बद्धता / 1467, दिनांक 22–07–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0–3, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम / विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन **दिनांक 1–7–2012 से तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति** इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पूर्व महाविद्यालय से अग्निशमन प्रमाण–पत्र निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त कर लिया जायेगा :–

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान / महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

–2–

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या– सम्ब0– 319 (1)/सत्तर–2–2012, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, बार काउन्सिल आफ इण्डिया, 21 राउस एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110002
2– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
4– सचिव/प्रबन्धक, इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0–3, ग्रेटर नोएडा।
5– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6– वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
7– निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह), उ0प्र0शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।